ग्राम स्वराज

वीरेन्द्र कुमार व्यास
डॉ. अमरजीत सिंह

ग्रामोदय प्रकाशन की प्रस्तुति

ग्राम स्वराज

वीरेन्द्र कुमार व्यास
डॉ. अमरजीत सिंह

ग्रामोदय प्रकाशन की प्रस्तुति

लोकार्पण

मध्यप्रदेश में ग्राम स्वराज की जानकारी
जन-जन तक पहुँचाने के लिए प्रदेश के
पहले ग्रामीण विश्वविद्यालय

**महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय
विश्वविद्यालय**
की प्रकाशन इकाई

ग्रामोदय प्रकाशन

द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक का लोकार्पण
मध्यप्रदेश के महामहिम राज्यपाल एवं
कुलाधिपति

डॉ. भाई महावीर

के कर कमलों से सम्पन्न हुआ।

29 जनवरी 2001 भोपाल

समर्पण

ग्राम स्वराज की स्थापना द्वारा राजनीति से लोकनीति के स्वप्न को साकार करने वाले पंचों-सरपंचों, ग्राम के लोगों तथा इस दिशा में कार्यरत संस्थाओं को सादर समर्पित

* * *

अपनी बात

आज से मध्यप्रदेश में ग्राम स्वराज की नई व्यवस्था लागू की जा रही है। असली सत्ता लोगों को सौंपी जा रही है। ताकि वे दूसरों पर निर्भर न रहें। अपने पैरों पर खुद खड़े हों। अपने फैसलें मिल-जुलकर खुद करें।

इस नये इन्तजाम में सबकी भागीदारी बहुत जरूरी है। हम यह किताब ग्राम स्वराज की मोटी-मोटी बातों को समझाने के लिए प्रश्न और उत्तर के रूप में दे रहे हैं, जिससे लोग ग्राम स्वराज को समझें और मध्यप्रदेश सरकार के राजनीति से लोकनीति की ओर बढ़ाये गये इस कदम से लाभ उठायें। अपने गांव को पूज्य बापू के सपनों का गांव बनायें।

ग्राम स्वराज की बातें हर गांव हर आदमी तक पहुंचाने के लिए प्रदेश के पहले ग्रामीण विश्वविद्यालय, महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट का यह छोटा सा प्रयास है।

टी. करुणाकरन

26 जनवरी 2001 कुलपति

आभार

लोक भागीदारी के बगैर किसी भी योजना की सफलता संदिग्ध रहती है। मध्यप्रदेश सरकार पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम द्वारा शासन की बागडोर आम जनता के हाथों में सौंपने जा रही है। ग्राम स्वराज की सफलता लोगों की जानकारी और भागीदारी पर निर्भर है। इस पुस्तक के लिखने का उद्देश्य यह है कि लोग ग्राम स्वराज के बारे में जानें। नई व्यवस्था से संबंधित जानकारी इस पुस्तक में प्रश्न उत्तर के माध्यम से प्रस्तुत की गयी है।

इस पुस्तक की रचना ग्रामोदय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो0 टी. करुणाकरन की प्रेरणा, प्रयास और नेतृत्व का सुपरिणाम है। प्रो0 करुणाकरन ग्राम स्वराज व्यवस्था के लिए प्रदेश शासन द्वारा गठित टास्क फोर्स समिति के सदस्य थे और ग्राम विकास के क्षेत्र में उनके पचीस वर्षों की सेवाओं से उपजी अवधारणा और अनुभवों का सम्मिश्रण इस ग्राम स्वराज व्यवस्था में है। हम उनके आभारी हैं। पुस्तक को तैयार करने में मुख्यमंत्री के सलाहकार और पूर्व मुख्य सचिव श्री एस.सी. बेहार और ग्राम स्वराज के नोड्ल अधिकारी श्री श्याम बोहरे का प्रेरणास्पद प्रोत्साहन और सहयोग रहा। हम उनके विशेष आभारी हैं। मध्यप्रदेश शासन द्वारा ग्राम स्वराज के लिए गठित टास्क फोर्स के सभी सम्मानित सदस्यों के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं, जिनके विचार और अनुभव इस कार्य की प्रेरणा हैं।

पुस्तक की रूपरेखा और शैली को विकसित और परिमार्जित करने में ग्रामोदय विश्वविद्यालय के प्राध्यापक डॉ. योगेश दुबे, डॉ. ललित सिंह, डॉ. कुसुम सिंह और डॉ. नन्दलाल मिश्र का विशेष योगदान रहा है। हम उनके प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं।

पुस्तक पर आपके सुझावों का स्वागत है।

लेखक

प्रसंग सूची

* * *

मध्यप्रदेश में ग्राम स्वराज

प्रसंग : एक

मध्यप्रदेश में ग्राम स्वराज

गाँधी जी चाहते थे कि भारत सात लाख ग्राम गणराज्यों का महासंघ बने। जहाँ हर एक गाँव को उतने अधिकार हों जितने एक राष्ट्र को होते हैं। गाँव वाले तय करें कि कितने अधिकार उन्हें रखने हैं और कितने जनपद को सौंपने हैं। इसी तरह जनपद से जिले, प्रदेश और केन्द्र तक अधिकार पहुँचें। जनतंत्र में जनता की सरकार को जनता के लिए और जनता द्वारा चलाया जाता है। अभी जनता के द्वारा सरकार चलाने के अधिकार चुनाव के द्वारा चुने हुऐ प्रतिनिधियों को सौंप दिये जाते हैं। सरकार चलाने के अधिकार का उपयोग जनता अभी तक प्रत्यक्ष रूप से (सीधे-सीधे) नहीं करती है। गाँव का काम चलाने के लिए गाँव के लोग मिलकर तय करें और तय किये गये कार्यक्रमों को लागू करें तथा उन पर निगरानी रखें ऐसी व्यवस्था मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम के जरिये 26 जनवरी 2001 से की गई है। अधिनियम में दी गई बातों की जानकारी गाँव-गाँव तक अपने आप तो पहुँचेगी नहीं? गाँव-गाँव तक पहुँच जायें तो ग्राम सभाएं उसके अनुसार काम करने की कोशिश करें। ग्राम स्वराज क्या है? ग्राम सभाओं को क्या अधिकार सौंपे गये हैं। वे कैसे काम करेंगी आदि बातों को गाँव तक पहुँचाने की मंशा से जानकारी यहाँ दी जा रही है।

महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय भी प्रदेश में काम कर रहे बहुत से संस्थानों के साथ मिलकर यह कोशिश कर रहा है कि समय-समय पर ग्राम स्वराज के संबंध में जानकारी गाँव तक पहुँचाता रहे।

प्रश्न ग्राम स्वराज की नई व्यवस्था क्या है ?

उत्तर गाँधी जी के देश में ग्राम स्वराज की व्यवस्था नई कैसे हो सकती है ? आजादी की लड़ाई के साथ -साथ ही गाँधी जी ने ग्राम स्वराज की व्यवस्था भी विकसित कर रखी थी। जिसमें उन्होंने ग्राम को विकसित एवं आत्मनिर्भर बनाने का सपना देखा था। यदि हम इतिहास में देखें तो गाँधी जी से पहले भी ग्राम गणराज्य की व्यवस्था लागू थी।

प्रश्न हमारे देश के गाँवों में कैसी व्यवस्था थी ?

उत्तर गाँव अपनी अन्दर की व्यवस्था में मोटे तौर पर स्वतंत्र रहे हैं। गाँव समाज के लंबे इतिहास को देखने से पता चलता है कि इसका मूल स्वरूप अपने पैरों पर खड़े स्वतंत्र समूहों का था। आदिवासियों का कबीला इसका अच्छा उदाहरण है। विकास के साथ-साथ छोटे-छोटे गणराज्य बने। जो अपनी पूरी व्यवस्था खुद चलाते थे । खुद फैसले लेते थे और उन्हें लागू करते थे। उदाहरण के लिए भारतवर्ष के लिच्छवी गणतंत्र एवं चोल राजाओं के शासन के समय के ग्राम गणतंत्र हों या ग्रीस देश के नगर राज्य।

जमींदारी और जागीरदारी से गाँव के समाज में कुछ बुराइयाँ पैदा हुई। लेकिन इसके बाद भी स्वतंत्रता किसी न किसी रूप में बनी रही। स्वतंत्रता के गुण और इसकी मात्रा में इतिहास के लंबे दौर में बदलाव आते रहे। बदलाव और बुराइयाँ दोनों ही साथ-साथ चलती रहीं ।

प्रश्न आजादी के बाद गाँव में क्या बदलाव आये ?

उत्तर देश को आजादी मिली और हमारे यहां प्रजातंत्र आया। यानी देश की जनता ही सरकारों को चुनने लगी । चाहे वह देश के स्तर पर हो या प्रदेश के स्तर पर । नये जमाने के नये दौर

में कई बदलाव आये । गाँव के विकास करने की अच्छी मंशा से सरकार ने गाँव की व्यवस्था में दखल दिया। लेकिन इसका नतीजा यह हुआ कि गाँव सरकारों पर निर्भर हो गये। छोटे-छोटे कामों के लिए लोग सरकार का मुँह ताकने लगे। इससे उनकी स्वतंत्रता और अपने पैरों पर खड़े रहने की ताकत धीरे-धीरे कम होती गई।

प्रश्न आज के गाँव की क्या हालत है ?

उत्तर आज गाँव में गैर बराबरी है। कहीं जात के नाम पर ऊँच नीच है तो कहीं पैसे वाले और गरीब के बीच की दूरी है । आज के गाँव के बारे में दो तरह की बातें सामने आती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि पुराने जमाने से चली आ रही गाँव की व्यवस्था बहुत अच्छी है । लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि नये दौर के प्रभाव ने गाँव की पुरानी अच्छी बातों को खत्म कर दिया है । नये जमाने के साथ-साथ गाँव में कई बुराइयाँ पनप गई हैं । ये बुराइयाँ कहीं अधिक हैं तो कहीं कम।

प्रश्न क्या आज के गाँव अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं ?

उत्तर आज विकास की जिस अवस्था में हम पहुँच गये हैं वहाँ गाँव को पूरे तौर पर आत्म निर्भर नहीं बनाया जा सकता है। आज के हालात में जितना अधिक से अधिक संभव हो सकता है उतना गाँव को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जा रही है। गाँधी जी ने भी कहा था कि प्रत्येक गाँव अपनी जरूरत से ज्यादा चीजें पैदा करे जिससे दूसरों की जरूरत पूरी की जा सके और बदले में अपनी जरूरत की चीजें लीं जा सकें।

कुछ लोग मानते हैं कि गाँव असहाय नासमझ लोगों का झुंड है और बाहरी मदद के बिना वहां कुछ अच्छा नहीं किया जा सकता । जबकि कुछ लोग मानते हैं कि गाँव में पुराने जमाने से चली आ रही रीति नीति बहुत अच्छी है।

गाँव में बहुत ज्ञान है । और उसका उपयोग कर अच्छे नतीजे निकाले जा सकते हैं । सच्चाई दोनों के बीच है। यह सच है कि गाँव के लोग बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ स्वयं कर सकते हैं किन्तु उन्हें बाहरी ज्ञान और मदद की भी किसी हद तक और कई बातों के लिए जरूरत है। गाँवों को फिर से अपने पैरों पर खड़ा किया जा सकता है। लेकिन सरकार के दखल और गाँव की स्वतंत्रता के बीच संतुलन जरूरी है। सरकार कानून और नियमों के जरिये काम काज को सरल बनाने में मदद करे, गाँव को मौका दे, गाँव वालों का उत्साह बढ़ाये जिससे कि गाँव अपने पैरों पर फिर से खड़े हो सकें ।

प्रश्न गाँव की स्वयत्तता का क्या अर्थ है ?

उत्तर इसका अर्थ ग्राम की स्वतंत्रता से है। इस संबंध में स्वायत्तता, स्वशासन और ग्राम गणतंत्र जैसे शब्द प्रयोग में लाये जाते हैं। इन शब्दों के प्रयोग से यह भ्रम हो सकता है कि ग्राम देश के संविधान और नियम-कायदे से ऊपर है। असल में ग्राम स्वायत्तता का अर्थ है - देश के संविधान और राज्यों के कानूनों के अन्दर अधिक से अधिक स्वतंत्रता। न कि संविधान और राज्य कानूनों को न मानना ।

प्रश्न इस दिशा में मध्यप्रदेश शासन के क्या प्रयास रहे हैं ?

उत्तर इस दिशा में कुछ प्रयास जरूर हुए हैं जैसे विकास के कार्यों में निरंतर जनसहभागिता के प्रावधान करना, संयुक्त वन प्रबंधन, ग्राम शिक्षा समिति, स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन इत्यादि। पंचायती राज की स्थापना कर अधिक अधिकार देना। विभिन्न विभागों के अधिकार और कर्तव्य ग्राम पंचायतों को सौंपना। स्वावलंबन के लिए स्वरोजगार योजनाए आदि की पहल और 26 जनवरी 2001 से ग्राम स्वराज की व्यवस्था लागू करना।

पंचायती राज के जरिये शासन को भोपाल से हटाकर चौपाल तक ले जाया जा रहा है । इसमें जहाँ एक ओर राज्य की राजधानी भोपाल की सत्ता को जिला, विकास खंड और गाँव के स्तर पर (जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत) पहुँचाया गया वहीं दूसरी ओर सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के अधिकारों को पंचायत स्तर पर जन प्रतिनिधियों को दिया जा रहा है ।

प्रश्न पंचायत राज और ग्राम स्वराज में क्या अंतर है ?

उत्तर वास्तव में कोई अंतर नहीं है मध्यप्रदेश पंचायतराज अधिनियम की धारा सात में ग्राम सभा को जो कर्तव्य और अधिकार सौंपे गये हैं ग्राम स्वराज उसी व्यवस्था का विस्तार है। अभी तक दो-तीन गाँवों के लिए एक पंचायत जो काम करती थी उनमें से बहुत से काम अब ग्राम सभा करेगी। अभी तक ग्राम सभा की बैठक प्रायः ग्राम पंचायत के स्तर पर होती थी। अब हर गाँव में ग्राम सभा की बैठक जरूरी है। अभी तक ग्राम सभा को मुख्यतः विचार करने, अनुमोदन करने, सिफारिश करने व सुझाव देने से संबंधित भूमिका ही सौंपी गई थी। जबकि ग्राम स्वराज व्यवस्था में ग्राम सभा को निर्णय करने उनको लागू करने तथा निगरानी रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अभी तक ग्राम सभा की बैठकों की तारीख भोपाल से तय होती थी। परन्तु अब बैठकों की तिथि एवं समय गाँव वाले अपनी सुविधा से तय करेंगे। पहले कोरम के अभाव में बैठक स्थगित करके फिर से जो बैठक बुलाई जाती थी उसमें अर्थात् स्थगित बैठक में कोरम का होना अनिवार्य नहीं था। परन्तु अब कोरम का होना अनिवार्य है। पहले ग्राम पंचायत के केवल 10 से लेकर 20 तक चुने हुए सदस्य ही दो-तीन गाँवों के सभी कामों के लिए जिम्मेदार होते थे। जबकि अब हर ग्राम सभा की 8 स्थायी समितियाँ

होंगी और जरूरत पड़ने पर कई अस्थायी समितियाँ भी होंगी। अर्थात् एक गाँव की जिम्मेदारी निभाने में लगभग 100 व्यक्तियों की भागीदारी स्थायी एवं अस्थायी समितियों के जरिये होगी।

प्रश्न अभी तक तो ग्राम सभा की बैठकें या तो होती नहीं थी जहाँ होती भी थीं वहाँ प्रभावी नहीं थीं। फिर इतनी सारी जिम्मेदारी ग्राम सभा कैसे उठायेगी?

उत्तर यह सही है कि अभी तक ग्राम सभा की भूमिका प्रभावी नहीं रही है इसके कारण स्पष्ट हैं जैसे –

1. ग्राम पंचायत के स्तर पर ग्राम सभा का होना जिसमें कई ग्राम की एक ग्राम सभा थी।
2. ग्राम सभा प्रायः दिन के समय होना जब गाँव वाले व्यस्त रहते थे।
3. निर्णय लागू करने व निगरानी करने की शक्ति ग्राम सभा के पास न होना।
4. ग्राम सभा नहीं भी होती थी तो भी पंचायती कार्यों पर कोई फर्क न पड़ना।

परन्तु अब हर गाँव की एक ग्राम सभा होगी। जिसकी बैठ्क की तिथि एवं समय गाँव वाले अपनी सुविधा के अनुसार तय करेंगे और गाँव के कामों के लिए निर्णय लेने, उन्हें लागू करने व उन पर निगरानी रखने की शक्ति ग्राम सभा के पास होगी।

प्रश्न क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है ?

उत्तर ग्राम स्वराज अच्छी तरह लागू हो सकता है। यह सच है कि गाँवों में असमानता और शोषण का अस्तित्व है। कुछ लोगों की मनमानी और दादागीरी चलती है । उन्हीं की मर्जी से

गाँव चलते हैं।

इस व्यवस्था के दुरूपयोग की संभावना के बावजूद सरकार इसे लागू कर रही है इस विश्वास के साथ कि अधिकार मिलने से जिम्मेदारी आयेगी और लोगों का नजरिया बदलेगा। लोग अपने फैसले खुद लेने और प्रशासन में भागीदारी के लिए आगे आयेंगे ।

प्रश्न **ग्राम स्वराज व्यवस्था में स्वायत्तता क्या केवल राजनीतिक होगी ?**

उत्तर चाहे शब्द गणराज हो, चाहे स्वराज हो, चाहे स्वशासन हो, आग्रह शासन, सरकार या सत्ता पर ही रहता है। जो मुख्य रूप से राजनीतिक पक्ष को दिखाता है। देश की आजादी के बाद भी केवल राजनीतिक आजादी ने खुशी और एक झूठे संतोष का अहसास कराया। नारों के रूप में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक आजादी की बात विभिन्न मंचों से होती रही। किन्तु यह पूरी तरह साफ है कि देश की नीतियों का केन्द्र बिन्दु राजनीतिक आजादी रही है। सामाजिक एवं आर्थिक पक्षों की ओर ध्यान नहीं गया। नई व्यवस्था में राजनीतिक स्वायत्तता के साथ आर्थिक और सामाजिक स्वायत्तता को ग्राम स्वराज में शामिल करने की कोशिश की गई है।

प्रश्न **ग्राम सभा को आर्थिक स्वायत्तता कैसे मिलेगी ?**

उत्तर यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है गाँव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आर्थिक स्वायत्तता बहुत जरूरी है । ग्राम स्वराज की व्यवस्था में ग्राम कोष की व्यवस्था की गई है। जिसके विशेष जानकारी आगे के प्रसंग में दी गई है साथ ही साथ ग्राम सभा को कर लगाने के अधिकार भी दिये गये हैं। ग्राम स्वराज में गाँव के अनेक संसाधनों के उपयोग करने का

अधिकार और दायित्व ग्राम सभा को सौंपा गया है। यदि इस ओर ठीक से ध्यान दिया जाये और स्थानीय संसाधनों का ठीक से उपयोग किया जाये तो गांव में हर परिवार को रोजी रोटी का टिकाऊ साधन देना संभव होगा।

प्रश्न क्या यह पूज्य बापू के सपनों का ग्राम स्वराज होगा?

उत्तर महात्मा गाँधी के विचार, सिद्धांत, दर्शन और जीवन दृष्टि ही ग्राम स्वराज की प्रेरणा है। पूज्य बापू अपने विचारों के निरंतर विकास पर विश्वास करते थे। वे अपने प्रयोगों और अनुभवों के आधार पर अपने दर्शन और विचारों में बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहते थे। ग्राम स्वराज की व्यवस्था गाँधी जी के दर्शन को आँख मूंद कर पालन करने के बजाय उनकी मूल भावना के आधार पर तैयार की गयी है।

प्रश्न क्या ग्राम स्वराज पंचायती राज व्यवस्था का चौथा स्तर है?

उत्तर ग्राम स्वराज में तीसरे स्तर को ही अधिक मजबूत किया गया है। वास्तविक और असली सत्ता अब ग्राम पंचायत के बजाए ग्राम सभा को दी गई है। जिससे आम जनता को अपने फैसले करने की स्वतंत्रता मिलेगी। ग्राम स्वराज पंचायत राज व्यवस्था का चौथा स्तर नहीं है बल्कि तीसरे स्तर को अधिक मजबूत बनाने का प्रयास है।

प्रश्न ग्राम स्वराज व्यवस्था की क्या विशेषताएँ होंगी?

उत्तर नयी ग्राम स्वराज व्यवस्था में:

1. सत्ता केवल नाममात्र की नहीं बल्कि सच्चे अर्थों में लोगों तक पहुँचेगी।
2. मध्यप्रदेश में चल रही जनता को भागीदार बनाने और लोगों को फैसले लेने के अधिकार देने की प्रक्रिया और मजबूत होगी।

3. औपचारिक पंचायत व्यवस्था और परंपरागत पंचायत व्यवस्था में तालमेल का प्रयास किया गया है।

4. यह राजनीति से लोकनीति की ओर प्रदेश सरकार का कदम है।

5. गाँव में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की स्थापना होगी और ग्राम गणराज्य की व्यवस्था में सत्ता सीध-सीधे जनता के हाथ में आ जायेगी ।

6. गाँव न सिर्फ राजनीतिक बल्कि सामाजिक आर्थिक इकाई के रूप में फिर से अपनी खोयी प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे ।

7. सत्ता और अधिकार की बजाय बातचीत, आमराय, सहमति और समझौते से ग्राम समाज में नये दौर की शुरूआत होगी।

8. प्रावधान किया गया है कि ग्राम सभा की स्थायी समितियों की बैठक ग्राम सभा की बैठक के पहले होना जरूरी है।

प्रश्न नयी ग्राम स्वराज व्यवस्था कब से लागू होगी?

उत्तर यह व्यवस्था 26 जनवरी 2001 से मध्यप्रदेश में लागू हो गई है।

* * *

ग्राम सभा का स्वरूप

प्रसंग : दो

ग्राम सभा का स्वरुप

प्रश्न ग्राम सभा का स्वरूप क्या होगा?

उत्तर हर गाँव की एक ग्राम सभा होगी । प्रत्येक राजस्व गाँव एक ग्राम सभा के रूप में होगा। इससे प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र को उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा। ग्राम सभा ग्राम स्तर पर प्रशासन की प्रमुख इकाई होगी।

प्रश्न ग्राम सभा के सदस्य कौन होंगे?

उत्तर ग्राम के सभी मतदाता ग्रामसभा के सदस्य होंगे। जिनका नाम वोटर लिस्ट में है ।

प्रश्न ग्राम सभा में ग्राम के 18 वर्ष से कम स्त्री-पुरूषों की क्या भूमिका होगी?

उत्तर 18 वर्ष से कम उम्र के स्त्री-पुरुष ग्राम सभा को किसी भी मुद्दे पर अपनी राय दे सकते हैं। उनके सुझाव पर ग्राम सभा विचार करेगी।

प्रश्न ग्राम सभा की बैठकें कब होंगी?

उत्तर ग्राम सभा की बैठक एक माह में एक बार अवश्य होगी। इसके दिन, तिथि और समय गाँव के लोगों की राय से सरपंच तय करेगें । ग्राम सभा की बैठक सचिव बुलायेगा। समय और स्थान तय करते समय महिलाओं, गरीबों, मजदूरों और वंचित वर्गो की सुविधा का ध्यान रखा जायेगा ग्राम सभा की मासिक बैठक के अलावा जरूरत पड़ने पर अध्यक्ष द्वारा या गाँव के 10 प्रतिशत सदस्य या 50 लोगों जो भी कम हों की मांग पर अलग से भी बैठकें बुलाई जा सकती हैं।

प्रश्न बैठक में कोरम क्या होगा ?

उत्तर हर बैठक में कम से कम 20 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। उपस्थित सदस्यों में एक तिहाई महिलाओं को तथा अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों की उपस्थिति उनकी जनसंख्या के अनुपात में होनी आवश्यक होगी। कोरम के बिना कोई भी बैठक नहीं होगी। उदाहरण के लिए ग्राम सभा में यदि दो सौ सदस्य हैं तो बैठक में कम से कम चालीस सदस्यों का होना जरूरी है । इन चालीस में कम से कम चौदह महिलाएँ जरूरी हैं । इसी प्रकार यदि अनुसूचित जाति और जनजाति के उस ग्राम सभा में पचास घर हैं तो उनमें से दस सदस्यों का ग्राम सभा की बैठक में आना जरूरी है ।

प्रश्न **क्या संयुक्त ग्राम सभा बुलाई जा सकेगी ?**

उत्तर हाँ ग्राम सभा की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है । पंचायत क्षेत्र के ग्रामों के मसलों पर निर्णय लेने के लिए सभी गाँव की एक संयुक्त बैठक बुलाई जा सकेगी जिसमें बात-चीत से विवादों का निपटारा हो सकेगा ।

प्रश्न **ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करेंगे ?**

उत्तर पंचायत में ग्राम सभा की अध्यक्षता सरपंच करेंगे, उनकी अनुपस्थिति में उपसरपंच । सरपंच, उपसरपंच की अनुपस्थिति में, ग्राम सभा पंचों में से एक पंच को अध्यक्ष बना लेगी ।

प्रश्न **ग्राम सभा का सचिव कौन होगा ?**

उत्तर ग्राम पंचायत का सचिव ही ग्रामसभा का सचिव होगा और यह बैठकों का पूरा लेखा जोखा रखेगा। सचिव ग्राम सभा के नीचे काम करेगा ।

प्रश्न **ग्राम सभा में निर्णय की प्रक्रिया क्या होगी ?**

उत्तर ग्राम सभा में निर्णय यथासंभव सर्वसम्मति से लिये जायेंगे। सर्वसम्मति के अभाव में निर्णय आमराय से लिये जायेंगे। आमराय भी न होने पर उस विषय पर विचार को स्थगित किया जायेगा और ग्राम सभा की अगली बैठक में यह विषय लिया जायेगा।

प्रश्न **यदि विषय पर विचार स्थगित करने बाद भी निर्णय नहीं होता तब?**

उत्तर. दो बार स्थगित करने के बाद यदि सर्वसम्मति या आम निर्णय नहीं हो पाता तो बहुमत से निर्णय लिया जायेगा। ऐसे निर्णय के लिए गुप्त मतदान की व्यवस्था होगी ताकि लोग बिना पक्षपात और डर के अपनी राय दे सकें। स्थगित बैठक में भी कोरम पूरा होने के बाद ही विचार और निर्णय हो सकेंगे। यदि गुप्त मतदान में बराबर बराबर मत मिले तो अध्यक्ष के दूसरे या निर्णायक मत से फैसला होगा ।

* * *

ग्राम सभा की समितियाँ

प्रसंग : तीन

ग्राम सभा की समितियाँ

प्रश्न ग्राम सभा कैसे काम करेगी ?

उत्तर ग्राम सभा समितियों के द्वारा काम करेगी। ग्राम सभा गांव में सभी वयस्क मतदाताओं की संस्था है। वह समग्र ग्राम समाज का प्रतीक भी है। यह ग्राम समाज विभिन्न हितधारी समुदायों से मिलकर बना है। इसलिए गाँव के काम काज को चलाने और फैसले लेने के लिये संबंधित वर्गों के लोगों की समितियों का गठन किया जायेगा ।

प्रश्न इससे क्या लाभ होगा ?

उत्तर आज का गाँव कई टुकड़ों में बंटा है। गाँव में ऐसे समूह हैं जो अपने हित की बात ठीक ढ़ंग से सबके सामने नहीं रख पाते । आरक्षण और बढ़ती शिक्षा के बाद भी महिलाओं, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित पिछड़े वर्गों के लोगों की फैसले लेने में भागीदारी कम है । समितियों के माध्यम से उन्हें एक जुट होकर समान हित वाले समूह में अपनी बात रखने का मौका मिलेगा और ग्राम सभा में वे दूसरे सामान्य वर्गों के सहयोग पर निर्भर नहीं होंगे।

प्रश्न क्या ग्राम स्वराज में पंचायत की तरह कोई समिति नही रहेगी ?

उत्तर नयी व्यवस्था में पंचायत खुद ही ग्राम सभा की एक समिति की तरह कार्य करेगी। अन्य समितियों से ग्राम पंचायत इस अर्थ में अलग होगी कि उसका एक कानूनी दर्जा है। उसकी चुनाव प्रक्रिया और अवधि को भारत के संविधान ने तय किया है। ग्राम पंचायतों के अलावा ग्राम सभा द्वारा दो प्रकार

की समितियों का गठन किया जा सकेगा –

1. स्थायी समिति

2. अस्थायी समिति

प्रश्न स्थायी समितियाँ क्या होंगी?

उत्तर गाँव समाज में लम्बे समय तक चलने वाले कामों के लिए आठ स्थायी समितियों का गठन होगा । इसमें हित रखने वाले लोगों को चुनकर संबंधित काम–काज सौंपा जायेगा ।

उदाहरण के लिए शिक्षा एक हमेशा चलने वाली गतिविधि है। इसमें विद्यार्थियों के माता–पिता तथा पढ़ता–बढ़ता समूहों के प्रतिनिधि ही रहेंगे।इसी तरह स्वास्थ्य संबंधी कामों के लिए एक स्वास्थ्य समिति होगी जिसमें महिलाओं और बुजुर्गों की खास भागीदारी होगी। स्थायी समितियाँ ग्राम समाज में लम्बे समय तक चलने वाली गतिविधियों के लिए बनाई जायेंगी।

प्रश्न अस्थायी समितियां क्या होंगी?

उत्तर जिन फैसलों को कम समय में लागू किया जा सकेगा उनके लिए उसमें हित रखने बाले लोगों की एक अस्थायी समिति बनाई जायेगी । इन समितियों में अलग अलग हित रखने वाले लोग सदस्य होगें । हितधारी समूहों के आधार पर बनी समितियाँ अधिक अच्छे ढंग से काम कर सकेंगीं ।

ये ऐसे कार्य होंगे जिन्हें करने के लिए निरन्तरता की आवश्यकता नहीं होगी। उदाहरण के लिए किसी मोहल्ले में सड़क बनाने का निर्णय लिया जाता है तो सड़क बनाने के लिए अस्थायी समिति का गठन होगा। इसका कार्यकाल उस सड़क निर्माण तक ही होगा। सड़क बनने के बाद ग्राम सभा को अपनी रिपोर्ट और हिसाब प्रस्तुत कर ग्राम सभा द्वारा

मूल्यांकन से संतुष्ट हो जाने के बाद उस समिति का अस्तित्व समाप्त हो जायेगा। अस्थायी समिति ऐसे कार्यों के लिए बनेंगी जो एक सीमित अवधि के हैं और जिनकी हमेशा के लिए जरूरत नहीं है ।

प्रश्न इन समितियों से क्या लाभ होगा ?

उत्तर कार्य के अनुसार अस्थायी समिति के सदस्य हितधारी ही होंगे। उदाहरण के लिए यदि एक मोहल्ले में सड़क बन रही है; तो उस सड़क से लाभ लेने वाले व्यक्ति ही उस समिति में शामिल होंगे। वे कम कीमत में अच्छे स्तर का कार्य करेंगे क्योंकि इस कार्य से उनको ही लाभ मिलेगा। हितधारियों की सदस्यता शीघ्र और उच्चस्तरीय कार्य के लिए प्रेरणा का कार्य करेगी।

प्रश्न गाँवों में आम तौर से कौन सी स्थायी समितियाँ बनेगी और उनका कार्य क्षेत्रक्या होगा ?

उत्तर

- ग्राम विकास समिति – जिसमें योजना बनाने, राजस्व, कराधान, लेखा, बजट, ग्राम कोष एवं अन्य वित्तीय मामलों पर विचार-विमर्श होगा तथा निर्णय लिये जायेंगे।
- सार्वजनिक संपदा समिति – जिसके अंतर्गत – भूमि, वन, जल संसाधन, खनिज साधन और पर्यावरण आदि विषय आयेंगे।
- कृषि समिति – जिसके अंतर्गत – कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, भूमि संरक्षण, सहकारिता, जल संवर्धन, सिंचाई और प्राकृतिक आपदा, राहत जैसे विषय आयेंगे।
- स्वास्थ्य समिति – जिसमें स्वास्थ्य, पेयजल, परिवार कल्याण, स्वच्छता आदि विषय आयेंगे।
- शिक्षा समिति – जिसमें प्राथमिक शिक्षा, खेलकूद, पढ़ता-बढ़ता आदि विषय आयेंगे।

- अधोसंरचना समिति – जिसमें ग्रामणी विकास, संचार, ग्रामोद्योग, ग्रामीण आवास, लोक निर्माण अल्पबचत और उर्जा आदि विषय आयेंगे।
- सामाजिक न्याय समिति – जिसमें समाज कल्याण, विकलांग कल्याण, निराश्रित, महिला और बाल विकास, अनुसूचित जाति–जनजाति विकास, सामाजिक सुरक्षा और मजदूरों की हित रक्षा आदि विषय आयेंगे।
- ग्राम रक्षा समिति – जिसमें युवा कल्याण और गाँव की रक्षा आदि विषय आयेंगे।

प्रश्न समितियों का गठन किस प्रकार होगा ?

उत्तर समितियों का गठन ग्राम सभा की बैठक में होगा । जिसमें कोरम आवश्यक है। समिति के सदस्य सर्वसम्मति या आम राय से चुने जायेंगे। सर्वसम्मति या आमराय के अभाव में ग्राम सभा द्वारा गुप्त मतदान से समिति के सदस्यों का चयन होगा। हर समिति में एक तिहाई दलित, एक तिहाई महिलायें और एक तिहाई सामान्य वर्ग के लोग होगें। एक तिहाई में से आधे अनुसूचित जाति और आधे अनुसूचित जनजाति के होंगे। हर समिति में ऐसे पंच, सरपंच और उप सरपंच रहेंगे जो उस समिति में हित रखते हैं। हर समिति में शासन के वे कर्मचारी भी होंगे जो संबंधित विषय के लिए गाँव में काम करते हैं।

प्रश्न क्या ग्राम विकास समिति के गठन की विशेष व्यवस्था है ?

उत्तर ग्राम विकास समिति अपने गठन और स्वरूप के लिहाज से इस मायने में अलग है कि इस समिति में सभी समितियों के अध्यक्ष इसके सदस्य होंगे। अध्यक्ष के अलावा सरपंच और उप सरपंच भी इसके सदस्य होंगे। ग्राम विकास समिति की अध्यक्षता सरपंच करेंगे।

प्रश्न स्थायी समितियों के सदस्यों और अध्यक्ष का कार्यकाल क्या होगा ?

उत्तर स्थायी समितियों के सदस्यों का कार्यकाल ढ़ाई वर्ष का रहेगा। कोई भी व्यक्ति एक समिति से अधिक समितियों का सदस्य नहीं होगा। केवल ग्राम विकास समिति को छोड़कर, जिसमें सभी समितियों के अध्यक्ष होंगे। स्थायी समिति के अध्यक्ष का कार्यकाल एक वर्ष का होगा। हर वर्ष एक नये अध्यक्ष का चुनाव होगा। हर स्थायी समिति के अध्यक्ष पद पर बारी–बारी से अलग–अलग वर्गों के लोग अध्यक्ष चुने जायेंगे। यह वर्ग होंगे : सामान्य पुरूष, सामान्य महिला, दलित पुरूष, दलित महिला। जिन गाँवों में अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों वर्गों के लोग होंगे वहाँ उनके लिए पुरूष और उन्ही महिलाओं का वर्ग होगा। अस्थायी समिति के अध्यक्ष काम के पूरा होने तक या समिति और ग्रामसभा में विश्वास कायम रहने तक अपने पद पर बने रहेंगे। किसी समिति के सदस्य की सदस्यता समाप्त करने का अधिकार ग्रामसभा का होगा।

प्रश्न समितियों के लिए कोरम क्या होगा ?

उत्तर समितियों में कोरम अर्थात् बैठक के लिए कम से कम 50 प्रतिशत अर्थात् आधे सदस्यों की उपस्थिति जरूरी होगी। महिलाओं का एक तिहाई और वंचित वर्गों की संख्या के अनुपात के आधार पर प्रतिनिधित्व होगा।

प्रश्न समितियाँ किसके प्रति जवाबदेह होंगी ?

उत्तर समितियाँ ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होंगी। ग्राम सभा द्वारा समितियों के काम की जांच होगी एवं वह आवश्यक निर्देश दें सकेंगी। अस्थायी समितियाँ भी ग्राम सभा के निर्णय के अनुसार, उनकी देख–रेख में अपनी सीमाओं में

काम करेगीं ।

प्रश्न समितियों के सचिव कौन होंगे ?

उत्तर ग्राम विकास समिति का सचिव ग्राम सभा का सचिव होगा, बाकी हर समिति अपना सचिव नियुक्त करेगी। इनको तनखाह नहीं मिलेगी यानी ये अवैतनिक होगें।

प्रश्न सचिव कैसे चुने जायेंगे ?

उत्तर समिति के कार्य को देखते हुए समिति के सचिव के लिए कम से कम कितना पढ़ा लिखा आदमी चाहिए ये समिति तय करेगी । समिति के सदस्यों में से ही सचिव का चयन सदस्यों द्वारा दो तिहाई बहुमत से किया जायेगा। यदि सचिव के लिए कोई भी ठीक-ठक व्यक्ति नहीं मिला तो ग्राम सभा का कोई भी सदस्य जो ठीक-ठाक हो, समिति एवं ग्राम सभा के हरी झण्डी देने पर सचिव बनाया जा सकेगा। समिति के सचिव अपनी समिति तथा ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होंगे। सचिव का कार्य ठीक न होने पर उसे हटाकर नये सचिव को रखने का अधिकार समिति का होगा। समिति के सदस्यों का कोई रिश्तेदार सचिव नहीं बन सकता । यदि समिति के कार्य क्षेत्र से संबंधित कोई सरकारी अधिकारी गाँव में है तो उसे भी सचिव बनाया जा सकता है।

प्रश्न समिति में जवाबदेह व्यक्ति कौन होगा ?

उत्तर किसी ग्राम सभा या समिति द्वारा गड़बड़ी की गई है तो ज़िम्मेदारी ग्राम सभा या संबंधित समितियों के अध्यक्ष तथा समिति के सचिव की साझा जवाबदेही मानी जायेगी। यदि गड़बड़ी के लिए किसी पर कार्यवाही करने की जरूरत होती है तो दोनों पर साथ साथ कार्यवाही ही की जानी चाहिये।

* * *

ग्राम स्वराज:अधिकार एवं कर्तव्य

प्रसंग : चार

ग्राम स्वराज : अधिकार एवं कर्तव्य

प्रश्न ग्राम स्वराज में ग्राम सभा को कौन-कौन से अधिकार दिये गए हैं?

उत्तर अभी तक पंचायतो के जो अधिकार और कर्तव्य हैं उनमें से अधिकांश ग्राम सभा को दे दिये जायेगे। इससे ग्राम सभा को असली अधिकार मिल जायेंगे और ग्राम सभा की बैठकों में लोगों की दिलचस्पी बढ़ेगी। सारे जरूरी मुद्दों की चर्चा और फैसले ग्राम सभा की बैठक में होंगे। फैसलो को ग्राम सभा ही अपनी समितियों के जरिये लागू भी करेगी। नई व्यवस्था में ग्राम सभा को व्यवस्थापिका और कार्यपालिका की साझा संस्था के रूप में देखा गया है।

प्रश्न स्वयंसेवी संस्थाओं के संबंध में भी क्या ग्राम सभा को अधिकार होगा?

उत्तर आज स्वयंसेवी संस्थाएं अपनी पसंद के गांव चुनकर वहाँ काम करती हैं। ग्राम स्वराज्य की व्यवस्था में स्वयंसेवी संस्थाओं को अपने कार्य का खाका ग्राम सभा के सामने रख कर उसकी इजाजत लेनी पड़ेगी।

प्रश्न क्या गाँव में अन्य विभागों के सभी अधिकार समाप्त हो जायेंगे?

उत्तर नहीं! सरकार के अलग अलग विभागों व जिला और जनपद पंचायत का गांव में अधिकार बना रहेगा क्योंकि बहुत से अधिकार उनके पास हैं। सरकार जरूरत पड़ने पर अपने आदेशों/नियमों द्वारा हर विभाग द्वारा दिये जाने वाले अधिकार ग्राम सभा को सौंप सकती है।

प्रश्न नई ग्राम स्वराज व्यवस्था में ग्राम पंचायत की क्या स्थिति होगी?

उत्तर ग्राम पंचायत का महत्व बना रहेगा । सरपंच ग्राम सभा के अध्यक्ष होंगे। उप सरपंच और पंचों का महत्व बना रहेगा क्योंकि वे अलग अलग समितियों में रहकर बहुत सी जिम्मेदारी निभायेंगें। पिछले कानून के अनुसार ग्राम पंचायत महत्वपूर्ण संस्था थी और ग्राम सभा सांकेतिक थी। नयी ग्राम स्वराज व्यवस्था में ग्राम सभा सबसे महत्वपूर्ण हो जायेगी। इसके बावजूद ग्राम पंचायत एक कानूनी संस्था के रूप में बनी रहेगी । ग्राम पंचायत प्रतिनिधि प्रजातंत्र की संस्था है जबकि ग्राम सभा प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की।

प्रश्न **क्या भविष्य में इसे समाप्त किया जायेगा ?**

उत्तर अभी ऐसा विचार नहीं है ? पर गाँवों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की संभावनाओं को देखते हुए पूरी पंचायतराज व्यवस्था पर फिर से विचार किया जा सकता है ।

प्रश्न **नई व्यवस्था में ग्राम पंचायत का क्या महत्व होगा ?**

उत्तर पंचायत के सभी पंच, सरपंच, उपसरपंच अलग अलग समितियों के सदस्य रहेंगे। वे उन लागू करने वाली समितियों में भी सदस्य रहेंगे जो उनके चुनाव क्षेत्र से संबंधित हों या जिसमें वे हितधारी हों। चूंकि इस व्यवस्था में कई समितियाँ एक साथ काम करेंगी अतः उनके बीच ग्राम सभा के देख-रेख में समन्वय भी ग्राम पंचायत करेगी। समिति द्वारा किये जा रहे कार्यो की मानिटरिंग भी ग्राम सभा के देखरेख में ग्राम पंचायत करेगी और तथा ग्राम सभा की बैठक में रिपोर्ट देगी। गांव के बाहर किसी बैठक में जरूरत पड़ने पर ग्राम सभा द्वारा चुना गया पंचायत का सदस्य ग्राम सभा का प्रतिनिधित्व करेगा। उदाहरण के लिए यदि दस पंचायतों के बीच एक हफ्तावार बाजार है और उसका काम देखने के लिए पंचायत के प्रतिनिधियों की प्रबंध समिति बनाई जाती है तो ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के किसी चुने हुए व्यक्ति का ग्राम की ओर से प्रतिनिधित्व

के लिए नाम देगी । ग्राम सभा और ग्राम विकास समिति के अध्यक्ष सरपंच होंगें। ग्राम पंचायत तय कार्यक्रमों के लिए सरकारी धन को तय किये गये पैमाने के आधार पर ग्राम सभा को सौंपेगी।

प्रश्न वित्तीय मामलों में ग्राम पंचायत की क्या भूमिका होगी ?

उत्तर सरकार की ओर से अलग अलग कार्यों के लिए दिये जाने वाले पैसे पंचायत में ही आते हैं। इसलिए वित्तीय मामलों में पंचायत की महत्वपूर्ण भूमिका बनी रहेगी। मापदंड वही होंगे जो राज्य वित्त आयोग भारत सरकार ने ग्राम पंचायतों को आवंटन के लिए बनाये हैं।

सरकार से प्राप्त धन का ठीक से खर्च और सही हिसाब किताब ग्राम पंचायत का काम होगा ।

प्रश्न पंचायत सरपंच की क्या भूमिका होगी ?

उत्तर ग्राम सभा का अध्यक्ष ग्राम पंचायत का सरपंच होगा। उसकी गैर हाजिरी में उपसरपंच, दोनों की गैर हाजिरी में पंच अध्यक्षता करेगा। ग्राम विकास समिति की अध्यक्षता भी ग्राम पंचायत का अध्यक्ष करेगा।

* * *

ग्राम स्वराज : वित्त व्यवस्था

प्रसंग : पाँच

ग्राम स्वराज्य : वित्त व्यवस्था

प्रश्न ग्राम स्वराज में गाँव के विकास के लिए पैसा कहाँ से आयेगा।

उत्तर गाँव के विकास के लिए ग्राम सभा को दो प्रकार का धन मिलेगा। ग्राम कोष और पंचायत निधि। ग्राम कोष में ग्राम सभा के सदस्य मिलकर संग्रह करेंगे और पंचायत निधि में केन्द्र और राज्य सरकार से पंचायतो को धन प्राप्त होगा, उसे वे निर्धारित मापदंडो के अनुसार ग्राम सभाओं को देंगी।

प्रश्न ग्राम कोष का क्या मतलब है ?

उत्तर नयी ग्राम स्वराज व्यवस्था में हर गांव का एक ग्राम कोष होगा। जिसमें गाँव के सब लोग अपनी भागीदारी से खुद मिलकर एक कोष बनायेंगे। इसे ग्राम कोष कहा जायेगा। ग्राम कोष का गठन नीचे लिखे प्रकार से होगा ।

1. अन्न कोष
2. वस्तु कोष
3. श्रम कोष
4. नकद कोष

लोग ग्राम कोष में अन्न, निर्माण का सामान या जिनके पास कुछ नहीं है वे अपना श्रम देकर गांव में विकास कार्यो में योगदान कर सकते हैं।

प्रश्न ग्रामकोष का इस्तेमाल कौन करेगा ?

उत्तर ग्रामकोष के इस्तेमाल का अधिकार ग्राम सभा को होगा। ग्रामकोष का उपयोग किस काम के लिए किया जाये यह फैसला ग्राम सभा करेगी। सरकारी कार्यक्रम विशेष के लिए प्राप्त धन के बारे में ग्राम सभा के अधिकार कम होंगे। वह धन उसी मद में खर्च किया जा सकेगा जिसके लिए वह आया है ।

प्रश्न ग्राम कोष की देख रेख कौन करेगा ?

उत्तर ग्रामकोष की देख रेख करने की जिम्मेदारी ग्राम विकास समिति की होगी। इस समिति का सचिव ग्राम सभा का सचिव ही होगा। रुपये पैसे में कोई गड़बड़ न हो, खाता, बही, किताब सब ठीक हो इसका इन्तजाम करना सचिव की जिम्मेदारी होगी ।

प्रश्न ग्राम कोष का दुरूपयोग कैसे रोकेंगें ?

उत्तर ग्राम कोष के आय-व्यय के बारे में कोई पर्दा नहीं होगा और आमद खर्च के बारे में सबको बताया जायेगा । हर खर्च से संबंधित कार्यक्रम में हितधारियों की भागीदारी होगी। इसलिए दुरूपयोग की गुंजाइश नहीं होगी। ग्रामकोष के हिसाब किताब की जांच यानी अंकेक्षण की व्यवस्था भी ग्रामसभा द्वारा होगी। ग्रामसभा अपने सदस्यों में से चुने हुए लोगों के जरिये अंकेक्षण करायेगी जो उस कार्य को लागू करने से संबंधित स्थायी या अस्थायी समिति के सदस्य नहीं हैं। ग्राम सभा चाहे तो अंकेक्षण के लिए बाहरी जानकारों की मदद ले सकती है।

प्रश्न पंचायत निधि क्या है ?

उत्तर केन्द्र और राज्य सरकार से जो धन प्राप्त होगा, वह पंचायत निधि कहलायेगा और इसी नाम से जमा किया

जायेगा । ये राशि पहले से तय बातों पर खर्च के लिए दी जायेगी ।

प्रश्न **पंचायत निधि के संबंध में अन्य इन्तजाम क्या होंगें ?**

उत्तर पंचायत निधि द्वारा ग्राम सभाओं को धन दिये जाने पर उसका उपयोग ग्राम सभा अपनी जरूरत के अनुसार कर सकती है। इस धन के हिसाब किताब की जांच या अंकेक्षण पहले से इस्तेमाल में लाये जा रहे तरीकों से होगा । और अन्य सभी मामलों में अभी तक जो व्यवस्था चली आ रही थी वही आगे भी चलेगी ।

* * *

अपनी बात

आज से मध्यप्रदेश में ग्राम स्वराज की नई व्यवस्था लागू की जा रही है। असली सत्ता लोगों को सौंपी जा रही है। ताकि वे दूसरों पर निर्भर न रहें। अपने पैरों पर खुद खड़े हों। अपने फैसलें मिल-जुलकर खुद करें।

इस नये इन्तजाम में सबकी भागीदारी बहुत जरूरी है। हम यह किताब ग्राम स्वराज की मोटी-मोटी बातों को समझाने के लिए प्रश्न और उत्तर के रूप में दे रहे हैं, जिससे लोग ग्राम स्वराज को समझें और मध्यप्रदेश सरकार के राजनीति से लोकनीति की ओर बढ़ाये गये इस कदम से लाभ उठायें। अपने गांव को पूज्य बापू के सपनों का गांव बनायें।

ग्राम स्वराज की बातें हर गांव हर आदमी तक पहुंचाने के लिए प्रदेश के पहले ग्रामीण विश्वविद्यालय, महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट का यह छोटा सा प्रयास है।

टी. करुणाकरन
कुलपति

26 जनवरी 2001

आभार

लोक भागीदारी के बगैर किसी भी योजना की सफलता संदिग्ध रहती है। मध्यप्रदेश सरकार पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम द्वारा शासन की बागडोर आम जनता के हाथों में सौंपने जा रही है। ग्राम स्वराज की सफलता लोगों की जानकारी और भागीदारी पर निर्भर है। इस पुस्तक के लिखने का उद्देश्य यह है कि लोग ग्राम स्वराज के बारे में जानें। नई व्यवस्था से संबंधित जानकारी इस पुस्तक में प्रश्न उत्तर के माध्यम से प्रस्तुत की गयी है।

इस पुस्तक की रचना ग्रामोदय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो0 टी. करुणाकरन की प्रेरणा, प्रयास और नेतृत्व का सुपरिणाम है। प्रो0 करुणाकरन ग्राम स्वराज व्यवस्था के लिए प्रदेश शासन द्वारा गठित टास्क फोर्स समिति के सदस्य थे और ग्राम विकास के क्षेत्र में उनके पचीस वर्षों की सेवाओं से उपजी अवधारणा और अनुभवों का सम्मिश्रण इस ग्राम स्वराज व्यवस्था में है। हम उनके आभारी हैं। पुस्तक को तैयार करने में मुख्यमंत्री के सलाहकार और पूर्व मुख्य सचिव श्री एस.सी. बेहार और ग्राम स्वराज के नोड्ल अधिकारी श्री श्याम बोहरे का प्रेरणास्पद प्रोत्साहन और सहयोग रहा। हम उनके विशेष आभारी हैं। मध्यप्रदेश शासन द्वारा ग्राम स्वराज के लिए गठित टास्क फोर्स के सभी सम्मानित सदस्यों के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं, जिनके विचार और अनुभव इस कार्य की प्रेरणा हैं।

पुस्तक की रूपरेखा और शैली को विकसित और परिमार्जित करने में ग्रामोदय विश्वविद्यालय के प्राध्यापक डॉ. योगेश दुबे, डॉ. ललित सिंह, डॉ. कुसुम सिंह और डॉ. नन्दलाल मिश्र का विशेष योगदान रहा है। हम उनके प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं।

पुस्तक पर आपके सुझावों का स्वागत है।

लेखक

ग्राम सभा के काम

- साफ सफाई और बीमारी फैलाने वाली गंदगी को नष्ट करना।
- सार्वजनिक कुओं, तड़ागों, और तालाबों का निर्माण, मरम्मत और सुरक्षा तथा घरेलू उपयोग के लिए पानी पूर्ति।
- नहाने धोने और पालतू पशुओं को पीने के लिए जल प्रदाय हेतु जल स्रोतों का निर्माण और सुरक्षा।
- ग्रामीण सड़कों, पुलियों, पुलों, बांधों तथा सार्वजनिक उपयोगिता के अन्य काम तथा भवनों का निर्माण और सुरक्षा।
- उपयोग में न लाये जाने वाले कुओं, गंदे तड़ागों, खाइयों तथा गढ़्ढों को भरना और सीढ़ीदार कुओं (बावडियों) की सफाई।
- सड़को और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर प्रकाश की व्यवस्था करना।
- जानवरों की लाशों को ठिकाने लगाने की व्यवस्था करना।
- मनोरंजन खेल, तमाशा, दुकानों, होटलों और पेय पदार्थों, मिठाइयों, फलों, दूध तथा इसी प्रकार की अन्य वस्तुओं के बेचने वालों के लिए नियम बनाना और उन पर नियंत्रण।
- मकानों संडासों, पेशाबघरो, नालियों तथा फ्लश शौचालयों के निर्माण के नियम बनाना।
- सार्वजनिक भूमि जैसे चरनोई, रास्ते, मरघट, हाट बजार, चमड़ा निकालने के लिए स्थान, तालाब आदि का प्रबंधन, आवासीय भूमि, विस्तार और विकास।
- कचरा इकट्ठा करने के लिए स्थानों को तय करना।
- माँस की बिक्री तथा परीक्षण के लिए नियम बनाना।

- ग्राम सभा की सम्पत्ति की सुरक्षा।
- काँजी हाऊस की स्थापना और प्रबंध और पशुओं से संबंधित अभिलेखों को रखा जाना।
- संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व के घोषित किए गए प्राचीन तथा ऐतिहासिक स्मारकों को छोड़कर अन्य ऐसे प्राचीन तथा ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा।
- ग्राम सभा के नियंत्रण में आने वाले चरागाहों तथा अन्य भूमियों को बनाये रखना।
- जन्म, मृत्यु और विवाहों के अभिलेखों को रखना।
- जन्म, मृत्यु ओर विवाहों के अभिलेखों को रखना।
- जनगणना के काम में और राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा कराये जा रहे सर्वेक्षणों में सहायता करना।
- छूत से फैलने वाले रोगों के रोकथाम में सहायता करना।
- इनोक्यूलेशन और टीका लगाने में सहायता करना तथा मनुष्यों एवं पशुओं की सुरक्षा के लिए ऐसे उपाय करना।
- निःशक्त तथा निराश्रितों की सहायता करना।
- युवा कल्याण, परिवार कल्याण तथा खेलकूद को बढ़ावा देना।
- लोगों की जिंदगी और संपत्ति की सुरक्षा के लिए उपाय करना।
- आग की रोकथाम, आग बुझाने और आग लग जाने पर संपत्ति की सुरक्षा के लिए रक्षा समिति की स्थापना करना।
- वृक्षारोपण तथा ग्रामवनों का संरक्षण।
- दहेज जैसी सामाजिक बुराईयों को दूर करना।

- गंभीर तथा आपाती मामलों में गरीबों के इलाज के लिए सहायता की व्यवस्था करना।
- गंभीर तथा आपाती मामलों में गरीबों के इलाज के लिए सहायता की व्यवस्था करना।
- किसी गरीब व्यक्ति या उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य की अन्त्येष्टि करने के लिए था।
- किसी गरीब व्यक्ति के फायदे हेतु या अन्य ऐसे उद्देश्यों के लिए समय समय पर राज्य सरकार द्वारा तय किये गये कामों के लिए ग्राम सभा मदद करेगी।
- राज्य सरकार, कलेक्टर या इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों की दशा सुधारने के लिए उपायों के संबंध में और विशेषतः अस्पृश्यता (छूआछूत) दूर करने निवारण के संबंध में दिये गये या जारी किए गए निर्देशों या आदेशों का कार्यान्वयन। वें काम करना जो जिला पंचायत या जनपद पंचायत, साधारण या विशेष आदेशों द्वारा उसे सौंपे।
- जनपद पंचायत के अनुमोदन से ऐसे अन्य काम भी कर सकेगी जिन्हें ग्राम सभा जरूरी समझेगी।
- परन्तु जहाँ ऐसे कोई काम ग्राम सभा को सौंपे गये हैं वहाँ वह यथास्थिति राज्य सरकार, जिला पंचायत या जनपद पंचायत के अभिकर्ता के रूप में कार्य करेगी और उसके लिए उसे जरूरी पैसा और अन्य सहायता की व्यवस्था राज्य सरकार, जिला पंचायत या पंचायत द्वारा की जाएगी।
- बुनियादी सुविधाओं की योजना बनाना और उसका प्रबंधन करना।

- विभिन्न कार्यक्रमों के अधीन हिताधिकारियों का चयन करना।
- ग्रामसभा क्षेत्र के भीतर विकास स्कीमों और निर्माण कार्य को पूरा करना और उनका पर्यवेक्षण करना।
- हितग्राहिता स्कीमों और कार्यक्रमों को नियंत्रण करना और उन्हें मॉनीटर करना।
- व्यापक रूप में जन साधारण जागरूकता को बढ़ावा देना।
- सामुदायिक कार्य के लिए श्रमदान और सहायता की व्यवस्था करना तथा सामुदायिक स्वामित्व की धारणा को बढ़ावा देना।
- ग्रामसभा की सीमा में जल क्षेत्र तथा लघु जल निकायों की योजना बनाना, उन पर स्वामित्व रखना और प्रबंध करना।
- मछली पकड़ने और व्यापार के लिए छोटे तालाबों और जलाशयों को पट्टे पर देना।
- सिंचाई के लिए नदियों, जलधारा, छोटे तालाबों के उपयोग के लिए नियम बनाना।
- ग्राम सभा को सौपे गये या उसके द्वारा नियत किए गये समस्त सामाजिक क्षेत्रों में संस्थाओं और कर्मचारियों पर नियंत्रण रखना।

* * *

अनुरोध

महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय द्वारा जन-जन तक ग्राम स्वराज विषयक जानकारी सरल भाषा और रोचक शैली में पहुँचाने के लिए इस पुस्तक को तैयार किया गया है। किन्तु ग्राम स्वराज के कानूनी पहलुओं की विस्तृत जानकारी के लिए मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम २००१ का अध्ययन करना जरूरी है।

* * *

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993
2. मध्यप्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993
3. मध्यप्रदेश सरकार द्वारा ग्राम स्वराज पर गठित टास्क फोर्स की रिपोर्ट
4. "मध्यप्रदेश में ग्राम स्वराज" लेखक श्री श्याम बोहरे (साभार)
5. मध्यप्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 2001
6. पंचायती राज पर सरकार और विभिन्न संस्थाओं द्वारा प्रकाशित सामग्री
7. समाचार पत्रों की क्लिपिंग।

* * *